



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269888
CG-DL-E-07022026-269888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 513]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

का.आ. 542(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तराखण्ड राज्य के हरिद्वार जिले में हरिद्वार रिंग रोड के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 48.880 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् सक्षम प्राधिकारी/ विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, हरिद्वार को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार जिले में हरिद्वार रिंग रोड के कि.मी. 0.000 से कि.मी. 48.880 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: उत्तराखंड			जिले का नाम: हरिद्वार		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: हरिद्वार					
गांव का नाम: देवपुर मुस्तकाम					
1	100	सरकारी	गैर कृषि	0.04 (हेक्टेयर)	0.04
2	101	सरकारी	गैर कृषि	0.07 (हेक्टेयर)	0.07
3	102	सरकारी	गैर कृषि	0.064 (हेक्टेयर)	0.064
4	104	सरकारी	गैर कृषि	0.05 (हेक्टेयर)	0.05
5	105	निजी	कृषि	0.0793 (हेक्टेयर)	0.0793
6	106	निजी	कृषि	0.043 (हेक्टेयर)	0.043
7	107	निजी	कृषि	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
8	108	निजी	कृषि	0.0946 (हेक्टेयर)	0.0946
9	109	निजी	कृषि	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
10	110	निजी	कृषि	0.0488 (हेक्टेयर)	0.0488
11	111	निजी	कृषि	0.01 (हेक्टेयर)	0.01
12	112	निजी	कृषि	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
13	113	निजी	कृषि	0.0183 (हेक्टेयर)	0.0183
14	114	निजी	कृषि	0.0122 (हेक्टेयर)	0.0122
15	115	निजी	कृषि	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
16	116	निजी	कृषि	0.0183 (हेक्टेयर)	0.0183
17	117	निजी	कृषि	0.0245 (हेक्टेयर)	0.0245
18	118	निजी	कृषि	0.005 (हेक्टेयर)	0.005
19	150	सरकारी	गैर कृषि	0.061 (हेक्टेयर)	0.061
20	151	सरकारी	गैर कृषि	0.049 (हेक्टेयर)	0.049
21	157	सरकारी	गैर कृषि	0.02 (हेक्टेयर)	0.02

22	158	सरकारी	गैर कृषि	0.14 (हेक्टेयर)	0.14
23	94	निजी	कृषि	0.0153 (हेक्टेयर)	0.0153
24	95	निजी	कृषि	0.0183 (हेक्टेयर)	0.0183
25	96	निजी	कृषि	0.0183 (हेक्टेयर)	0.0183
26	97	निजी	कृषि	0.0244 (हेक्टेयर)	0.0244
27	98	निजी	कृषि	0.0244 (हेक्टेयर)	0.0244
गांव का नाम: जमालपुर कलां					
28	415	निजी	कृषि	0.073 (हेक्टेयर)	0.073
29	416	निजी	कृषि	0.1 (हेक्टेयर)	0.1
30	420	निजी	कृषि	0.2875 (हेक्टेयर)	0.2875
गांव का नाम: रूहालकी किशनपुर					
31	169/5	निजी	कृषि	0.0207 (हेक्टेयर)	0.0207
Total					1.6019

[फा. सं. NHAI/PIU-RRK/55001/Haridwar Ring Road(LA)/2020/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2026

S.O. 542(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of Haridwar Ring Road in the stretch of land from Km. 0.0 to Km. 48.88 in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, CALA/SLAO, Haridwar in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling Haridwar Ring Road in the stretch of land from Km. 0.0 to Km. 48.88 in the district of HARIDWAR in the state of UTTARAKHAND

State: UTTARAKHAND			District: HARIDWAR		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Haridwar					
Village: DevpurMustkam					
1	100	Government	Non Agriculture	0.04 (Hectare)	0.04
2	101	Government	Non Agriculture	0.07 (Hectare)	0.07
3	102	Government	Non Agriculture	0.064 (Hectare)	0.064
4	104	Government	Non Agriculture	0.05 (Hectare)	0.05
5	105	Private	Agriculture	0.0793 (Hectare)	0.0793
6	106	Private	Agriculture	0.043 (Hectare)	0.043
7	107	Private	Agriculture	0.061 (Hectare)	0.061
8	108	Private	Agriculture	0.0946 (Hectare)	0.0946
9	109	Private	Agriculture	0.055 (Hectare)	0.055
10	110	Private	Agriculture	0.0488 (Hectare)	0.0488
11	111	Private	Agriculture	0.01 (Hectare)	0.01
12	112	Private	Agriculture	0.026 (Hectare)	0.026
13	113	Private	Agriculture	0.0183 (Hectare)	0.0183
14	114	Private	Agriculture	0.0122 (Hectare)	0.0122
15	115	Private	Agriculture	0.03 (Hectare)	0.03
16	116	Private	Agriculture	0.0183 (Hectare)	0.0183
17	117	Private	Agriculture	0.0245 (Hectare)	0.0245
18	118	Private	Agriculture	0.005 (Hectare)	0.005
19	150	Government	Non Agriculture	0.061 (Hectare)	0.061
20	151	Government	Non Agriculture	0.049 (Hectare)	0.049
21	157	Government	Non Agriculture	0.02 (Hectare)	0.02
22	158	Government	Non Agriculture	0.14 (Hectare)	0.14
23	94	Private	Agriculture	0.0153 (Hectare)	0.0153
24	95	Private	Agriculture	0.0183 (Hectare)	0.0183
25	96	Private	Agriculture	0.0183 (Hectare)	0.0183
26	97	Private	Agriculture	0.0244 (Hectare)	0.0244
27	98	Private	Agriculture	0.0244 (Hectare)	0.0244
Village: Jamalpur Kalan					
28	415	Private	Agriculture	0.073 (Hectare)	0.073
29	416	Private	Agriculture	0.1 (Hectare)	0.1
30	420	Private	Agriculture	0.2875 (Hectare)	0.2875
Village: RuhalkiKishanpur					
31	169/5	Private	Agriculture	0.0207 (Hectare)	0.0207
Total					1.6019

[F. No. NHAI/PIU-RRK/55001/Haridwar Ring Road(LA)/2020/3A]

SAIKH AMINKHAN, Director